04/4/19

पत्रावली अन्य वादीगण ने प्रार्थना पत्र पर कार्यालय के समक्ष की गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की आड़ लिया है कि इसमें पत्रावली में झूठी नामों से गया है जिस कारण हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते। वाद वादीगण वापिस करना चाहते हैं। वादीगण के हस्ताक्षर करवाकर पत्र कराये गये। जिनकी पहचान वकील वादी दान सिंह द्वारा की गई है। अतः वाद वादीगण वापिस लेकर पत्रावली फैसलशुदा घोषित, नस्ती के आदेश वाद लाइन मील रजिस्टर में दर्ज हो।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

2012
206

चम्पा देवी

म नि
चम्पा
म नि
भगवानसहाय
सुभाष
म नि
सुनिता

Dr. महेश
विनसिंह
4-4-2019